केन्द्रीय सूचना आयोग

कमरा संख्या–329, द्वितीय तल, 'सी' विंग,अगस्त क्रान्ति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110 066
दूरभाषः– 011–26162662

संचिका संख्या CIC/SS/A/2013/002772-YA

सुनवाई की तिथि	:	15.01.2015
निर्णय की तिथि	:	15.01.2015
वादी	:	**श्री गुरमीत सिंह** **कानपुर नगर।**
प्रतिवादी	:	**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,** **नई दिल्ली।**
सूचना आयुक्त	**:**	**श्री यशोवर्द्धन आजाद**

अपील से प्राकट्य सुसंगत तथ्यः

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	:	09.03.2013
पी.आई.ओ. के जवाब की तिथि	:	11.04.2013
प्रथम अपील की तिथि	:	24.04.2013
प्रथम अपीलीय आदेश की तिथि	:	कोई आदेश नहीं।
द्वितीय अपील प्राप्ति की तिथि	:	29.10.2013

मांगी गई सूचनाः

प्रार्थी ने अपने उक्त दिनांकित आवेदन के माध्यम से जौली नर्सिंग होम एवं रिसर्च सेन्टर द्वारा सी0जी0एफ0एम0 स्कीम में शामिल होने के लिए वर्ष 2002 में जमा कराई गयी 50,000 रूपये की जमानत राशि, जिसे प्रार्थी को लौटाने का आदेश प्राधिकरण द्वारा 28.05.2009 को ही जारी कर दिया गया था, को वापस नहीं किये जाने के संबंध में कुल 4 बिंदुओं के अंतर्गत सूचना चाही थी। इसके अंतर्गत राशि वापस नहीं किये जाने का कारण, उक्त राशि पर ब्याज की अदायगी पर स्पष्टीकरण, राशि वापस करने के लिए प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.07.2010 एवं 25.08.2011 को दिये गए आवेदन पर की गयी कार्रवाई का विवरण और यदि कार्रवाई नहीं की गयी तो इसका कारण, इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी की सूचना चाही थी।

सुनवाई के दौरान प्राकट्य सुसंगत तथ्यः

प्रस्तुत अपील की सुनवाई विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष से डा0 वी0 के0 जैन, अपर डी.डी.जी. सीजीएचएस तथा श्री एस0 के0 गुप्ता, आई.ओ., पी0ए0ओ0, सीजीएचएस आयोग में उपस्थित हुए जबकि डा0 बच्चन सिंह, केन्द्रीय जन सूचना

अधिकारी एन.आई.सी. के कानपुर स्टूडियो में उपस्थित हुए। प्रार्थी भी एन.आई.सी. के कानपुर स्टूडियो में उपस्थित हुए और अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

संचिका में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने प्रार्थी के उक्त आवेदन को सीजीएचएस, कानपुर नगर को अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत अंतरित कर दिया। निर्धारित अवधि में कोई सूचना प्राप्त नहीं होने पर प्रार्थी ने प्रथम अपील संस्थित की। लेकिन प्रथम अपीलीय अधिकारी की तरफ से कोई आदेश प्रार्थी को प्राप्त नहीं हुआ।

सुनवाई के दौरान कानपुर में उपस्थित प्रतिवादी पक्ष ने बताया कि उक्त अंतरित आवेदन के संदर्भ में प्रार्थी को दिनांक 12.04.2013 के पत्र के माध्यम से सूचना प्रेषित कर दी गयी थी जिसमें उन्हें यह सूचित किया गया था कि, प्रस्तुत संदर्भ में प्रार्थी पी0ए0ओ0, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली से संपर्क करें क्योंकि उन्हें पी0ए0ओ0 से 50,000 रूपये का कोई ड्राफ्ट प्राप्त नहीं हुआ है। पी0ए0ओ0, स्वास्थ्य मंत्रालय, नई दिल्ली ने बताया कि, प्रस्तुत संदर्भ में मंत्रालय (सीजीएचएस) के डी0डी0ओ0 से कोई बिल पी0ए0ओ0 में प्राप्त नहीं हुआ है और ऐसी स्थिति में कोई भुगतान नहीं किया जा सकता है। जब आयोग ने बिल नहीं भेजे जाने का कारण पूछा तो उपस्थित प्रतिवादी पक्ष ने बताया कि, इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

उल्लेखनीय है कि, आयोग के सुनवाई नोटिस के जवाब में सीजीएचएस, कानपुर से दिनांक 13. 01.2015 का एक लिखित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें जिसमें प्रार्थी के उक्त चारो बिंदुओं के अंतर्गत एक जवाब प्रेषित किया गया है और इसकी प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गयी है।

निर्णय:

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा चाही गयी सूचना उनके द्वारा जमा की गयी जमानत राशि लोक प्राधिकरण द्वारा वापस नहीं किये जाने के कारण तथा इसके लिए प्रार्थी द्वारा दाखिल आवेदनों पर लोक प्राधिकरण द्वारा की गयी कार्रवाई के संबंध में है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा चाही गयी सूचना स्पष्ट और विशेषीकृत है। हालाँकि, सीजीएचएस कानपुर ने दिनांक 13.01.2015 के पत्र के माध्यम से प्रार्थी के आवेदन के चारो बिंदुओं के अंतर्गत जवाब प्रेषित किया है लेकिन आयोग की राय में प्रदान की गयी सूचना अधूरी है।

सुनवाई के दौरान पी0ए0ओ0, सीजीएचएस, नई दिल्ली तथा कानपुर से उपस्थित प्रतिवादी पक्षों द्वारा प्रस्तुत की गयी दलील के अनुसार इस संदर्भ में कार्रवाई स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (सीजीएचएस) के स्तर पर लंबित है और इस प्रकार प्रार्थी द्वारा चाही गयी सूचना का धारक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (सीजीएचएस), नई दिल्ली है। अतः आयोग केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (सीजीएचएस), नई दिल्ली को यह निर्देश देता है कि, प्रस्तुत आदेश की प्राप्ति से 3 सप्ताह में प्रार्थी के आवेदन के माध्यम से चाही गयी तथ्यात्मक सूचना प्रेषित करें।

तदनन्तर, संचिका में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि, तात्कालीन केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (सीजीएचएस), नई दिल्ली, डा0 बी0 सी0 मोहापात्रा, अपर डी.डी.जी. ने प्रार्थी के आवेदन का यथोचित निस्तारण नहीं किया है। अतः

आयोग डा0 बी0 सी0 मोहापात्रा को कारण बताओ नोटिस जारी करता है तथा यह निर्देश देता है कि, प्रस्तुत आदेश की प्राप्ति से 4 सप्ताह के अंदर वे आयोग के समक्ष एक लिखित प्रतिवेदन दाखिल करें कि प्रार्थी के उक्त आवेदन का यथोचित निस्तारण नहीं किये जाने के लिए उन पर क्यों नहीं अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाए। तत्पश्चात, यदि आवश्यक होता है, इस संदर्भ में अगली कार्रवाई संस्थित की जाएगी।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अपील निस्तारित की जाती है।

(यशोवर्द्धन आजाद)
सूचना आयुक्त

अधिप्रमाणित सत्यापित प्रतिलिपि। आदेश की अतिरिक्त प्रतियाँ आवेदन एवं अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित शुल्क के भुगतान पर केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी।

(बी0 डी0 हरित)
उप– सचिव एवं
उप–पंजीयक